सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2024 / 522 दर्ज तिथिः–20.11.2024

1. दलाराम पुत्र सताराम
2. दुर्गाराम पुत्र सताराम
3. नेनाराम पुत्र सताराम

जाति जाट निवासी निम्बलकोट पटवार हल्का निम्बलकोट तहसील नौखडा।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत निम्बलकोट जरिये सरपंच
2. भेराराम पुत्र प्रभुराम
3. थानाराम पुत्र प्रभुराम
4. भेराराम पुत्र अमुराम

जाति जाट निवासी निम्बलकोट तहसील नोखड़ा।

.....प्रत्यर्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीगणः– श्री हुकमसिंह
प्रत्यर्थीगणः– श्री हरीश चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–75
राज. भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–05.03.2026

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है किः–
   1.1 कि अपीलान्टगण एवं उतरदातागण संख्या 02 से 04 की हाल संयुक्त आराजी खसरा 100 / 0.2265 है0, 101 / 3.7457 है0, 116 / 12.2806 है0, 122 / 32.5703 है0, 5 / 0.0728 है0, 6 / 15.1283 है0, 6 / 2 / 16.6250 है0 कुल रकबा 80.6492 है0 वाके ग्राम जाणियो की ढाणी तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।
   1.2 कि अपीलान्टगण एवं उतरदातागण संख्या 02 से 04 हिन्दु विधि से शासित होते है। जिनका पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.13 18:19:25 IST
Reason: SelfAttested

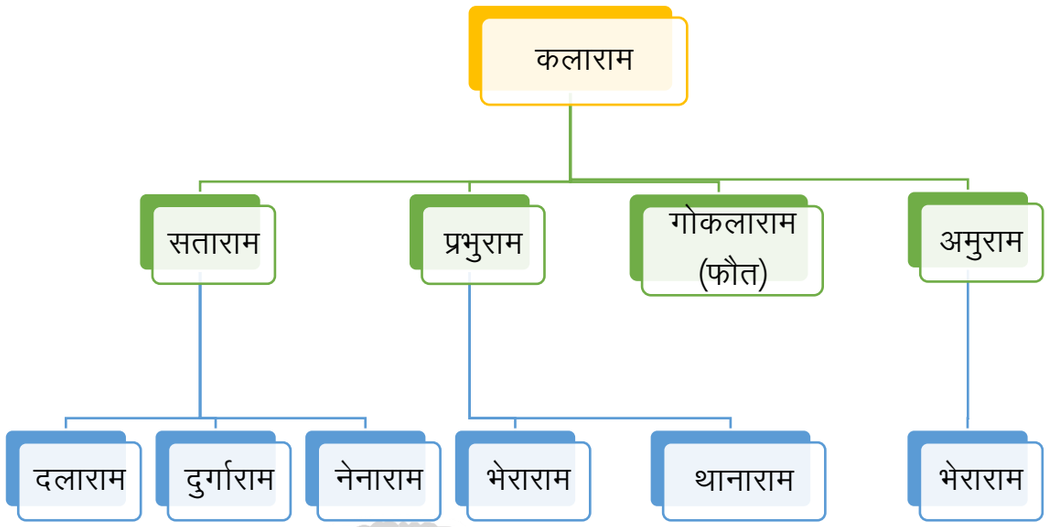

1.3 कि दिनांक 03.04.2014 को सताराम का, दिनांक 30.04.1992 को प्रभुराम का, दिनांक 10.10.1996 को अमुराम का एवं दिनांक 03.06.2024 को गोकलाराम का लाऔलाद स्वर्गवास हो गया है।

1.4 कि मुतनाजा आराजी में सताराम का 1/4 हिस्सा, प्रभुराम का 1/4 हिस्सा, गोकलाराम का 1/4 हिस्सा तथा अमुराम का 1/4 हिस्सा निहित था। उक्त चारों भाईयों में से गोकलाराम का लाऔलाद स्वर्गवास हो गया।

1.5 कि गोकलाराम ने अपने जीवनकाल में किसी व्यक्ति को गोद नहीं लिया। साथ ही गोकलाराम ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की। साथ ही गोकलाराम ने मुतनाजा आराजी में अपने हिस्से का कोई दानपत्र या विक्रयपत्र निष्पादित नहीं किया।

1.6 कि गोकलाराम के लाऔलाद फौत हो जाने के बाद मुतनाजा आराजी में गोकलाराम के विधिक वारिस सगे भाई सताराम, प्रभुराम व अमुराम है। परंतु ग्राम पंचायत द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों को अनदेखा करते हुए कुटरचित व फर्जी वारिस प्रमाण पत्र व वसीयत के आधार पर गोकलाराम की विरासत भैराराम पुत्र प्रभुराम के अकेले के नाम दर्ज कर नामान्तरण संख्या 296 दिनांक 20.10.2024 को फैसल कर दिया।

1.7 जबकि गोकलाराम की वसीयत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत सताराम, प्रभुराम व अमुराम के वारिसों के मध्य समान रूप से दर्ज होनी थी। परंतु ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा गलत तरीके से नामान्तरण दर्ज किया है। ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा अपीलार्थियों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।

1.8 कि ग्राम पंचायत को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925 के तहत वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। साथ ही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925 के तहत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.13 18:19:25 IST
Reason: SelfAttested

ही वसीयत निष्पादित की जा सकती है। जबकि गोकलाराम ने ऐसा कोई वसीयत नहीं की है।

1.9 कि मुतनाजा आराजी में अपीलार्थी व अन्य प्रत्यर्थी सहखातेदार है। ग्राम पंचायत को गोकलाराम की विरासत के नामान्तरण को दर्ज करते समय अपीलार्थी को जरिये नोटिस सुनवाई का अधिकार प्रदान करना चाहिए था। परंतु ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया।

1.10 इस प्रकार ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा दर्ज नामान्तरण संख्या 296 दिनांक 20.10.2024 को निरस्त करते हुए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत गोकलाराम के हिस्से की आराजी का नामान्तरण अपीलार्थी को 1/3 हिस्सा प्रदान करते हुए दर्ज किये जाने का निवेदन है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामील प्रत्यर्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर निम्न प्रकार जवाब प्रस्तुत कियाः–

2.1. कि गोकलाराम के कोई जायंदा औलाद नहीं होने के कारण अपने भाई प्रभुराम के पुत्र भेराराम को दिनांक 25.04.1998, मंगलवार बैशाख माह की आखातीज के दिन पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार पगड़ी बांधकर गुड़ खिलाकर गोद में बिठाकर गोद की रस्म अदा करते हुए गोद ग्रहण किया था। तब से ही भैराराम गोकलाराम के जीवनकाल में पुत्र की तरह रहा है। भैराराम की सेवा चाकरी से खुश होकर गोकलाराम ने अपनी संपत्ति मरणोपंरात भैराराम को देने की लिखित कर दी। इस कारण गोकलाराम की विरासत गोदपुत्र भैराराम के नाम सही दर्ज की गई है।

2.2. कि भैराराम के गोकलाराम के दत्तक पुत्र होने के आधार पर गोकलाराम की विरासत में अन्य अपीलार्थी व प्रत्यर्थी का कोई अधिकार सृजित नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा नामान्तरण सही दर्ज किया है। इस प्रकार उक्त अपील खारिज की जावे।

3. प्रकरण में वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि

3.1. अपीलार्थी को उक्त नामान्तरण की जानकारी होने के बाद अपील प्रस्तुत करने की समयसीमा के अंतर्गत ही अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अन्दर मियाद है।

3.2. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में उक्त नामान्तरण को फैसल करने के संबंध में अपीलार्थी को किसी प्रकार का नोटिस दिये जाने का जिक्र नहीं है। साथ ही नामान्तरण के फैसल आदेश में भी अपीलार्थी को किसी प्रकार का नोटिस दिये जाने का जिक्र नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद है। अतः परिसीमा अधिनियम–1963 की धारा–05 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

3.3. ग्राम पंचायत द्वारा गोकलाराम की विरासत का नामान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के उल्लघंन में दर्ज किया है। अतः नामान्तरण संख्या 296 काबिले खारिज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.13 18:19:25 IST
Reason: SelfAttested

3.4. ग्राम पंचायत को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत के वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज किया गया नामान्तरण संख्या 296 काबिले खारिज है।

3.5. गोकलाराम की संपत्ति का नामान्तरण गोकलाराम की सहमति पत्र के आधार पर फैसल करना बताया गया है। जबकि किसी प्रकार का सहमति पत्र विधिवत कानून को अतिक्रमित नही कर सकता है।

3.6. कि अपीलार्थी गोकलाराम की विरासत में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत द्वितीय श्रेणी के वारिस है। अतः गोकलाराम की विरासत में 1/3 हिस्से के धारक अपीलार्थी है।

3.7. इस प्रकार गलत दर्ज किये गये इन्तकाल संख्या–296 दिनांक–20.10.2024 को निरस्त कर गोकलाराम की विरासत का इन्तकाल अपीलान्ट के नाम 1/3 हिस्से में दर्ज किया जावें।

3.8. अपने अभिवचनों के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

2011(1) RRT 646
2024(1) RRT 625
2018(1) RRT 246

4. प्रकरण में दौराने बहस वकील प्रत्यर्थी ने जवाब के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि

4.1. उक्त नामान्तरण मजमा–ए–आम में फैसल किया गया है। अतः पृथक से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

4.2. ग्राम पंचायत द्वारा गोकलाराम की विरासत में भैराराम को विधिवत वारिस माना गया है। अतः उक्त नामान्तरण सही फैसल किया गया है।

4.3. भैराराम असल में गोकलाराम का दत्तक पुत्र है। इस कारण गोकलाराम की विरासत सही दर्ज की गई है। अतः उक्त नामान्तरण सही फैसल किया गया है।

4.4. गोकलाराम ने अपने जीवनकाल में भैराराम के नाम अपनी संपत्ति सुपुर्द करने हेतु लिखित सहमति प्रदान की है। अतः उक्त नामान्तरण सही फैसल किया गया है।

4.5. उक्त नामान्तरण वैद्य प्रक्रिया के तहत स्वीकार किया गया। अतः उक्त नामान्तरण सही फैसल किया गया है। अतः उक्त अपील खारिज की जावे।

5. मैनें अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में नामान्तकरण संख्या–296 दिनांक–20.10.2024 वाके ग्राम जाणियो की ढाणियां ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा फैसल का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

नामान्तकरण संख्या	आराजी	पूर्व की प्रविष्टी	पश्चात की प्रविष्टी
296	100 / 0.2265 है0,	गोकला पुत्र	भैराराम पुत्र प्रभुराम हिस्सा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.13 18:19:25 IST
Reason: SelfAttested

10.01.2024	101 / 3.7457 है0, 116 / 12.2806 है0, 122 / 32.5703 है0, 5 / 0.0728 है0, 6 / 15.1283 है0, 6 / 2 / 16.6250 है0	कला हिस्सा 1 / 8 जाति जाट	1 / 8 जाति जाट

नोटः—

1. ***पटवारी की रिपोर्टः—*** *आवेदक के प्रार्थना पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, शपथ की जांच रूबरू मोतबिरान, पड़ौसियों व जनप्रतिनिधियों से की गई। माफिक अंतिम वसीयतनामा व वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर नामान्तरण दायर किया गया।*
2. ***ग्राम पंचायत / ~~सजस्व अधिकारी~~ की जांच रिपोर्टः—*** *ग्राम पंचायत की मीटिंग में स्वीकृत किया जाता है।*

इस प्रकार नामान्तकरण संख्या—296 दिनांक—20.10.2024 वाके ग्राम जाणियों की ढाणियां ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा फैसल का अवलोकन से ज्ञात होता है कि मृतक गोकला पुत्र कला की विरासत भैराराम के नाम दर्ज रिकॉर्ड की गई तथा पंचायत बैठक में उक्त नामा. सर्व सहमति से स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार नामान्तरण के साथ संलग्न दस्तावेजात में गोकलाराम व भेराराम के मध्य सामान्य स्टाम्प पर निष्पादित एक सहमति पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गोकलाराम ने प्रभुराम को गोद लेना अभिकथित किया है। साथ ही भैराराम को अपनी समस्त संपत्ति का वारिस बतलाया है। इस आधार पर यह भी निष्कर्ष सामने आता है कि भैराराम गोकलाराम का दत्तक पुत्र है।

6. सर्वप्रथम प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के तहत खातेदारी अधिकारों के वारिसों में निहित होने के सम्बन्ध में विश्लेषण आवश्यक है। किसी खातेदार कृषक की आराजी की विरासत के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 तहत प्रावधान बनाये गये है। चूंकि प्रकरण में खातेदार कृषक की आराजी की विरासत के संबंध में प्रश्न पर विश्लेषण किया जाना है। अतः इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> ***40. Succession to tenants****— When a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at the time of his death.*

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 का प्रकरण में अवलोकन से ज्ञात होता है कि बिना वसीयत किये किसी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उस खातेदार का मृत्यु के समय उस खातेदार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार विरासत दर्ज किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 के अनुसार मृतक गोकलाराम पुत्र कलाराम कौम जाट के हिन्दू उत्तराधिकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.13 18:19:25 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम–1956 के अनुसार हिन्दू होने के कारण गोकलाराम पुत्र कलाराम कौम जाट की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 द्वारा निर्धारित वारिसों के दर्ज होना कानूनन आवश्यक है।

8. प्रकरण में प्रत्यर्थी भैराराम का अभिकथन है कि भैराराम गोकलाराम का दत्तक पुत्र है। गोकलाराम ने सामाजिक रीति रिवाज से भैराराम को गोद ले लिया था। परंतु गोदनामा पंजीकृत नहीं करवाया था। इस स्थिति में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि हिन्दु गोद ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम–1956 के तहत गोद लिये जाने हेतु रस्मों की अदायगी किया जाना आवश्यक है। हिन्दु गोद ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम–1956 के तहत गोद लिये जाने हेतु गोदनामा का पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति के गोदपुत्र होने या नहीं होने के संबंध में निर्णयन एक दावा में साक्ष्य लेकर ही किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के गोदपुत्र होने या नहीं होने का निर्णय अपील में नहीं किया जा सकता है।

9. प्रकरण केवल नामान्तरण कार्यवाही से संबंधित है। इस प्रकार हस्तगत अपील एक नामान्तरण कार्यवाही को लेकर है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामान्तरण कार्यवाही के आधार पर अधिकार व हक का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। असल में नामान्तरण कार्यवाही केवल वित्तीय कार्यवाही होती है। जिनका मुख्य उद्देश्य लगान निर्धारण व लगान अदा करने का दायित्व निर्धारण करना होता है। प्रकरण में नामान्तरण संख्या 296 के साथ संलग्न एक सहमति पत्र एक तरीके से अपंजीबद्ध गोदनामा का दस्तावेज है। ऐसी स्थिति में मृतक गोकलाराम पुत्र कलाराम कौम जाट के द्वारा भैराराम को गोद ग्रहण मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण दर्ज किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में नामान्तरण संख्या 296 मौजा जाणियों की ढाणी को गोकलाराम की विरासत भैराराम को गोदपुत्र मानते हुए दर्ज की गई प्रतीत होती है।

10. प्रकरण में इस संबंध में हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम–1956 की धारा–12 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> ***12.Effects of adoption.—***
> *An adopted child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all purposes with effect from the date of the adoption and from such date all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be severed and replaced by those created by the adoption in the adoptive family:*
> *Provided that—*
> > *(a) the child cannot marry any person whom he or she could not have married if he or she had continued in the family of his or her birth;*
> > *(b) any property which vested in the adopted child before the adoption shall continue to vest in such person subject to the obligations, if any, attaching to the ownership of such property, including the*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.13 18:19:25 IST
Reason: SelfAttested

obligation to maintain relatives in the family of his or her birth;
(c) the adopted child shall not divest any person of any estate which vested in him or her before the adoption.

11. प्रकरण में हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम–1956 की धारा–12 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम–1956 के तहत लिये गये गोद सन्तान के अधिकार जैविक सन्तान के समान ही होने के प्रावधान बनाये गये हैं। हस्तगत प्रकरण एक अपील है। जिसमें भैराराम को गोकलाराम के द्वारा दत्तक पुत्र ग्रहण किये जाने या नहीं किये जाने के संबंध में साक्ष्य आदि लिया जाना संभव नहीं है। भैराराम के गोकलाराम के द्वारा दत्तक पुत्र ग्रहण किये जाने या नहीं किये जाने के संबंध में साक्ष्य एक दावा में ही लिये जा सकते है। प्रकरण में अपील मीमो व जवाब के अवलोकन से ज्ञात है कि अपीलार्थी द्वारा भैराराम को गोकलाराम के द्वारा दत्तक पुत्र ग्रहण किये जाने के संबंध में कोई खण्डन या विरोधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अतः प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा भैराराम का गोकलाराम का दत्तक पुत्र माना गया है। इस प्रकार मातहत अदालत के उक्त निष्कर्ष के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा कोई खण्डन या विरोधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। इस प्रकार मातहत अदालत के उक्त निष्कर्ष में कोई परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

12. प्रकरण में भैराराम के गोदपिता की सम्पत्ति में जैविक पुत्र के समान हित व अधिकार निहित होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के अनुसार मृतक गोकलाराम पुत्र कलाराम कौम जाट के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हिन्दू होने के कारण गोकलाराम पुत्र कलाराम कौम जाट की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 द्वारा निर्धारित वारिसों के दर्ज होना कानूनन आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

8. General rules of succession in the case of males.—
The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter:—
(a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;
(b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;
(c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased; and
(d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased.

13. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के अनुसार सर्वप्रथम हिन्दू उत्तराधिकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.13 18:19:25 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–1 के अनुसार दर्ज किये जाने के प्रावधान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग के अन्तर्गत वारिसों के मध्य संपत्ति की विरासत के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 के तहत प्रावधान बनाये गये है। प्रकरण में अपीलार्थी हिन्दू मृतक के वारिस अभिकथित किये जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> ***9. Order of succession among heirs in the Schedule.***— *Among the heirs specified in the Schedule, those in class I shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs; those in the first entry in class II shall be preferred to those in the second entry; those in the second entry shall be preferred to those in the third entry; and so on in succession.*
>
> ***10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.*** *—The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules: —*
> *Rule 1.—The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.*
> *Rule 2.—The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.*
> *Rule 3.—The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.*
> *Rule 4.—The distribution of the share referred to in Rule 3—*
> *(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters get equal portions; and the branch of his pre-deceased sons gets the same portion;*
> *(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions.*

14. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिस एक साथ समान भाग प्राप्त करते है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार अगर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिस उपलब्ध नहीं होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–02 के वारिसों में सर्वप्रथम प्रथम प्रविष्टि के वारिसों के नाम विरासत दर्ज करने के प्रावधान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन के सामान्य नियम व निर्देश दिये गये है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.13 18:19:25 IST
Reason: SelfAttested

15. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:–

THE SCHEDULE (See section 8)
HEIRS IN CLASS I AND CLASS II

Class I

Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a pre-deceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son].

16. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों में मृतक हिन्दू पुरूष के असल पुत्र, पुत्रीयों, पत्नी तथा माता को भी एक समान भाग प्राप्त होने के प्रावधान है।

17. प्रकरण में मृतक हिन्दू पुरूष गोकलाराम पुत्र कलाराम कौम जाट की विरासत हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम–1956 के तहत भैराराम के अपने गोदपिता गोकलाराम की सम्पत्ति में जैविक पुत्र के समान हित व अधिकार निहित होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के एकमात्र जायज वारिस भैराराम के नाम विरासत का नामान्तरण दर्ज होना कानूनन उचित प्रतीत होता है।

18. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2011(1) RRT 646 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में न्यायिक दृष्टांत 2011(1) RRT 646 में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष उपस्थित प्रकरण में एक अपंजीबद्ध वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का मामला उपस्थित हुआ। उक्त मामले में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया कि राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–132 के तहत अपंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर कृषि भूमि के अंतरण का नामान्तरण दर्ज नहीं करने के प्रावधान है। परंतु हस्तगत प्रकरण एक तरह से गोदपुत्र होने के आधार पर है। जबकि उक्त न्यायिक दृष्टांत में अपंजीबद्ध वसीयत के आधार पर मामला निर्णित किया गया है। इस प्रकार उक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.13 18:19:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक दृष्टांत की विषयवस्तु हस्तगत प्रकरण से जुदा होने के कारण न्यायिक दृष्टांत सटीक चस्पा नहीं होता है।

19. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2024(1) RRT 625 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में न्यायिक दृष्टांत 2024(1) RRT 625 में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष उपस्थित प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जारी गोदनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का मामला उपस्थित हुआ। उक्त मामले में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी गोदनामा के आधार पर किसी व्यक्ति को गोदपुत्र नहीं माना जा सकता है। परंतु हस्तगत प्रकरण में स्वयं गोदपिता ने दत्तक ग्रहण के संबंध में लिखित की है। जबकि उक्त न्यायिक दृष्टांत में ग्राम पंचायत द्वारा जारी गोदनामा के आधार पर मामला निर्णित किया गया है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत की विषयवस्तु हस्तगत प्रकरण से जुदा होने के कारण न्यायिक दृष्टांत सटीक चस्पा नहीं होता है।

20. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2018(1) RRT 246 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में न्यायिक दृष्टांत 2018(1) RRT 246 में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष उपस्थित प्रकरण में वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का मामला उपस्थित हुआ। उक्त मामले में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया कि कूटरचित वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। परंतु हस्तगत प्रकरण में दत्तक ग्रहण से संबंधित है। जबकि उक्त न्यायिक दृष्टांत में कूटरचित वसीयत के आधार पर मामला निर्णित किया गया है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत की विषयवस्तु हस्तगत प्रकरण से जुदा होने के कारण न्यायिक दृष्टांत सटीक चस्पा नहीं होता है।

21. प्रकरण में अपीलार्थी का अभिकथन है कि गोकलाराम की विरासत का नामान्तरण अपीलार्थी को बिना सुने निर्णित किया गया है। इस संदर्भ में प्रत्यर्थी का अभिवचन है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण मजमेआम में फैसल किया गया है। साथ ही गोकलाराम का विरासत का नामन्तकरण दत्तक पुत्र भैराराम के पक्ष में फैसल किया गया है। उक्त नामान्तरण के संबंध में अपीलार्थी के पास कोई खण्डन दस्तावेज व साक्ष्य नहीं होने तथा अपीलार्थी का उक्त गोकलाराम की आराजी में कोई हिस्सा नहीं होने से कोई सुनवाई का अधिकार नहीं रहा है। इस कारण अपीलार्थी को उक्त नामान्तरण की जानकारी होने के बावजूद भी उक्त कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरण सही फैसल किया गया है। प्रकरण में उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि गोकलाराम की विरासत दत्तक पुत्र भैराराम के नाम ग्राम पंचायत द्वारा मजमेआम में उचित रूप में दर्ज की गई है। इस प्रकार उक्त कार्यवाही में अपीलार्थी को सुनवाई का अधिकार नहीं है।

22. इस प्रकार प्रकरण में केवल नामान्तरण कार्यवाही से संबंधित होने तथा नामान्तरण कार्यवाही के आधार पर अधिकार व हक का निर्धारण नहीं किया जा सकने के कारण भैराराम के गोकलाराम के दत्तक पुत्र होने या नहीं होने का निर्धारण इस स्थिति में नहीं किया जा सकता है। परंतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार गोकलाराम की विरासत दत्तक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.13 18:19:25 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र भैराराम को मानते हुए दर्ज की है। इस आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 तथा हिन्दु दत्तक ग्रहण व भरण पोषण अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अंतर्गत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत उक्त नामान्तरण गोकलाराम के दत्तक पुत्र भैराराम के नाम ग्राम पंचायत द्वारा फैसल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः नामान्तकरण संख्या–296 दिनांक–20.10.2024 वाके गाम जाणियों की ढाणियां ग्राम पंचायत निम्बलकोट की कार्यवाही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के प्रावधानों के सुसंगत होकर स्वीकृत किये जाने के कारण अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील बाबत् नामान्तकरण संख्या–296 दिनांक–20.10.2024 वाके गाम जाणियों की ढाणियां ग्राम पंचायत निम्बलकोट खारिज की जाती है।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.13 18:19:25 IST
Reason: SelfAttested